अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
22.12.2014	**न्यायालय, उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा** आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 66–132/2012 अपीलार्थी – श्रीमती मनौवरा खातुन बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य **–: आदेश :–** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1564 दिनांक 31.10.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में मामला यह है कि श्रीमती नीलम कुमारी महिला पर्यवेक्षिका बसंतपुर (सुपौल) द्वारा दिनांक 20.03.12 एवं 04.06.12 को दो तिथि में निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के क्रम में सेविका केन्द्र से अनुपस्थित थी, सहायिका उपस्थित थी, तथा केन्द्र पर 24 बच्चे उपस्थित थे, केन्द्र पर पंजी नहीं था। उक्त निरीक्षण तिथि 20.03.2012 को सेविका द्वारा अनुपस्थिति व अनियमितताऐं बरतने के आरोप में सेविका को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा कार्यालय पत्रांक 888 दिनांक 16.06.12 द्वारा अपना स्पष्टीकरण व पक्ष रखने हेतु दिनांक 23.06.12 को निर्देश दिया गया। सेविका श्रीमती मनौवरा खातुन द्वारा दिनांक 23.06.12 को अपना स्पष्टीकरण का जबाव जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष रखा, सेविका के जबाव से असहमति प्रदान करते हुए जिला	

प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने कार्यालय पत्रांक 1564 दिनांक 31.10.12 द्वारा चयन मुक्ति आदेश निर्गत किया गया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में किया गया जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष एवं साक्ष्य, कागजात न्यायालय के समक्ष रखा जिसे अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यह बात सही है कि दिनांक 20.03.12 को नीलम कुमारी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केन्द्र संख्या 111 पदमपुर का निरीक्षण किया गया, केन्द्र संचालित था, बच्चे को स्कूल पूर्व शिक्षा दिया जा रहा था, उस समय तक केन्द्र पर 24 बच्चे की उपस्थिति थी। अचानक सेविका को उनकी छोटी बच्ची की तबियत खराब होने की जानकारी मिली, जिसके कारण फौरन आनन–फानन में उसे लेकर भाड़े की गाड़ी से विराट नगर नर्सिंग होम विराट नगर (नेपाल) ईलाज हेतु जाना पड़ा आनन–फानन एवं बच्ची की तबियत अत्यधिक खराब होने की वजह से वह अपना दिमागी संतुलन ठीक न रख पाई तथा समयाभाव के कारण अनुपस्थिति की सूचना मुखिया/महिला पर्यवेक्षिका/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बसंतपुर को नहीं दे सकी और न ही उनके दूरभाष पर ही दी। साक्ष्य के तौर पर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने सेविका के बच्ची Needa pravin का O.P.D. Book विराट नगर नेपाल अस्पताल का पुर्जा दिनांक 20.03.12 भी अवलोकन कराया। उन्होंने यह भी बताया कि विराट नगर अस्पताल में ईलाज कराने के बावजूद भी बच्ची Needa pravin की मृत्यु हो गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि जब सेविका को अपनी बच्ची की तबियत Serious होनी की जानकारी मिली तो स्वाभाविक है कि एक माँ सर्वप्रथम बच्ची को लेकर अच्छे डॉक्टर के पास ईलाज करवाने जायेगी ही चूँकि बच्ची की तबीयत Serious थी, ले जाने में भी गाड़ी से विलम्ब हुआ किन्तु ईलाज के बावजूद भी बच्ची की मौत हो गई। अतः स्वाभाविक है कि बच्ची की माँ को असंतुलित थोड़ी देर के लिए ही सही बना देगी। अपने स्पष्टीकरण में भी सेविका ने अपनी बच्ची के ईलाज वास्ते जाने की बातें रखी थी एवं अस्पताल का कागजात भी दिखाया था। इसके बावजूद अनुपस्थित बताकर सेविका पद से चयनमुक्त कर दिया गया। यहाँ तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश Pre occupied

decision दिखता है। असामान्य परिस्थिति/विशेष परिस्थिति को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी नकारते हैं, जो नहीं होना चाहिए।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय C.W.J.C. NO.- 317/2014 एवं 19486/2014 में स्पष्ट पारित आदेश है कि एक दिन की अनुपस्थिति में वह भी असामान्य परिस्थिति हो या असहज स्थिति हो तो अनुपस्थिति मानकर चयन मुक्ति आदेश पूर्णतः अवैध है। C.W.J.C. NO.- 317/2014 में पारित आदेश One days absence of an employee from her duty without leave is not such a grave charge that it may entail disengagement from her service. There fore punishment awarded to the petitioner is apparently too harse and shocking.

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि खुद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने चयन मुक्ति आदेश में यह स्वीकार किए हैं कि केन्द्र संचालित था, बच्चों की संख्या 24 थी, पूरक स्कूल पूर्व शिक्षा दी गई है तो फिर एक दिन की अनाधिकृत अनुपस्थिति दिखाकर सेविका को चयन मुक्ति आदेश Pre occupied decision की ओर इंगित करता है। जो पूर्णतः सही नहीं है। जबकि उपस्थित सहायिका द्वारा केन्द्र का समुचित संचालन किया जा रहा था, केन्द्र बन्द नहीं था, सारे प्रोग्राम नियमित व निर्धारित तरीके से संचालित किए जा रहे थे, सिर्फ सेविका कुछ घंटे पहले केन्द्र से अनुपस्थित थी वह भी अपनी बच्ची के ईलाज वास्ते गए थे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी ध्यान आकृष्ट कराया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश में निरीक्षण तिथि 20.03.12 स्पष्टीकरण की तिथि 23.06.12 एवं चयन मुक्ति आदेश 31.10.12 यह सोचने की ओर मजबूर करता है कि चयनमुक्ति आदेश Pre occupied decision पहले से ही दिमाग में बना लिया गया था।

अपीलार्थी के अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता, कागजात, सबूत के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ठीक है कि सेविका ने अपनी Serious बच्ची के ईलाज में जाने के दिन इसकी सूचना अपने वरीय पदाधिकारी को नहीं दी ये उनकी लघु गलती (Minor Mistake) ही कहा जा सकता है,

किन्तु इतने कड़े दण्ड वह भी चयन मुक्ति का (पद से हटाने) का यह निर्णय सर्वदा गलत एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। जबकि सहायिका द्वारा सेविका की अनुपस्थिति में केन्द्र का संचालन समुचित रूप से किया जा रहा था।

अतः न्यायालय सारे निष्कर्षों एवं विवेचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष पर पहुँची कि सेविका के निरीक्षण तिथि दिनांक 20.03.2012 को अनाधिकृत अनुपस्थिति के एवज में उस दिन का मानदेय जो बनता है कोषागार में जमा करने का निर्देश देती है, चूँकि उसकी गलती सिर्फ यह है उसने बिना सूचना दिए केन्द्र से चली गई, जो उसकी गलती मानी जानी चाहिए हाँ अगर आदतन केन्द्र से गायब रहती है तो कार्रवाई होनी चाहिए, किन्तु यहाँ तो परिस्थितिवश बच्ची की तबियत खराब होने पर अस्पताल चली गई, घबराहट वश सूचना न दे पाई, तो उसे उस रूप में गंभीरता से लेना उचित जान नहीं पड़ता परिस्थिति असमान्य या असहज किसी के साथ हो सकता है, अतः न्यायालय अपीलवाद को स्वीकार करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के आदेश को खंडित कर उसे पत्र निर्गत तिथि से सेविका पद पर चयन को बरकरार रखती है। सेविका भविष्य में हुई ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न करें आवश्यक परिस्थिति/असमान्य स्थिति में भी जाने से पहले एक छुट्टी का आवेदन देकर ही या दूरभाष से ही जानकारी देकर केन्द्र से प्रस्थान करें तथा अपने दायित्वों का निर्वहन Seriousily एवं Responsibility तरीके से कर अपने केन्द्रों को परियोजना स्तर पर सबसे ऊँचा करें, यह अपेक्षा करती है।

लेखापित एवं संशोधित

22.12.2014

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

22.12.2014

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा